

11.02.25

पत्रावली पेश हुई। प्राची के अधिवक्ता
अनुपस्थित। अप्राची के अधिवक्ता उप०।
अधिवक्ता प्राची पूर्व में दो पेशियों पर
अनुपस्थित रहे। न्यायालय में प्रभावी पेश्वी
करने हेतु बार को पत्र प्रेषित किया।
न्यायालय के नियत समय व समय सम्प्रति
तक अधिवक्तागण को बार-बार आवाज
लगाई गई इसके बावजूद भी अधिवक्ता
प्राची अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता प्राची को
पुनर्वाई का अनेक अवसर देने के बावजूद भी
अनुपस्थित रहने पर पत्रावली इसी स्तर
पर अदम्य दायरी अदम्य पेश्वी में खारिज की
जाती है। पत्रावली खारिज उपरान्त नंबर
से कम हो।


जिला कलक्टर
बालोतरा